प0 सं0–14/डी0एल0ए0 (सम्पर्क सड़क)–मुजफ्फरपुर–99/2013– 1519 /रा0, पटना–15, दिनांकः– 18/06/2013

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू–अर्जन प्रशाखा
अधिसूचना

संख्या : **आर0** **पटना,** **दिनांक :**

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा– मणिका विशुनपुरचॉद थाना नं0–474, अंचल–मुशहरी जिला–मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा मणिका विशुनपुरचॉद थाना नं0–474, अंचल–मुशहरी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम– वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो **0.3375 (पौने चौतीस डिसमिल)** एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–अंश खेसरा नं0– 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 4105, 4106, 4118, 4121, 3854, 3855, 3857 एवं 4117.

चौहद्दी

उत्तर	अंश खेसरा सं०–3920, 4121, 4118, 3854, 3855 एवं 3857. ।
दक्षिण –	अंश खेसरा सं०–3919, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 4105, 4106, 4117.
पूरब –	पूर्ण खेसरा सं० –4104 एवं 4122 अंश खेसरा सं०–3919, 3920, 3921, एवं 3924.
पश्चिम –	अंश खेसरा सं०–3919, 3920, 3922, 3923 एवं 3857, पूर्ण 3890 ।

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा–4के उपबंधो के अधीन जो भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1960 से संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय अंचलधिकारी, मुशहरी मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संतोष कुमार मल्ल)
समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 (सम्पर्क सड़क)–मुजफ्फरपुर–99/2013– 1519 /रा0, पटना–15, दिनांकः– 18/06/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचना प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

14/6/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।